01/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान
कैम्प खुला पेश हुई। अपील अर्जी नं. 1008 द्वारा जवाब पेश
उपस्थित। अपील अर्जी नं. 1008 पेश किया। अपील अर्जीकर्ता
मौका रिपोर्ट पर कार्यवाही पेश किया। अपील अर्जी की कार्यवाही
से बहस के बाद सुनी गई। अपील अर्जी की कार्यवाही
पर नायब तहसीलदार गुजमावली से जानकारी ली गई। मौका
मौके से निरीक्षण जाकर नक्शे काम कर न्यायालय
खुलवाया गया। पत्रावली निर्णित खजाना होकर
दाखिल दफ्तर हो।

(signature)
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पं.स. सियाणी / ...
(उपखण्ड अधिकारी सियाणी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति पांयलाकला/सिणधरी)
पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमाराम, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 05 / 2020

प्रार्थीगण

1. गेनाराम पुत्र भारमल
2. आदाराम पुत्र भारमल
3. बींजाराम पुत्र भारमल
4. मदरूपाराम पुत्र मनराराम
5. सदाराम पुत्र मनराराम
6. मिसराराम पुत्र मनराराम
7. खेराजरामपुत्र मनराराम

जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. जोगा पुत्र भीमा
2. चेना पुत्र भीमा
3. माधा पुत्र भीमा
4. सवा पुत्र भीमा
5. गंगा पुत्र माला
6. वाला पुत्र माला
7. पूरो पत्नी मला
8. जगमाल पुत्र पेमाराम
   जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
9. ताजाराम पुत्र मनराराम
10. अनाराम पुत्र मनराराम जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
11. एस.बी.बी.जे. (वर्तमान एस.बी.आई.), भााखा गुड़ामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 1.11.21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251। रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सोनगिरी की ढाणी पटवार क्षेत्र भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 283/1 रकबा 24–00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु हमारे द्वारा विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के खेत खसरा नम्बर 281 रकबा ...–0... बीघा में से आ जा सकते हैं तथा इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। अतः हमारी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 283/1 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की खातेदारी भूमि मौजा सोनगिरी की ढाणी के खसरा नम्बर 281 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पं.स. सिणधरी/पांयला कलां
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु किसी प्रकार का जबाव पेश नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 12 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 01 दिनांक 05.10.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 281 में से कटाण हेतु प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 75 गट्ठा, चौडाई 4 गट्ठा जिसका कुल रकबा 0–15 बीघा है, प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक ो में बरंग हरा दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा अथवा पक्का निर्माण नहीं है, वर्तमान में मेड पर झाडियों का कच्चा छपरा निर्माण किया गया है। आवेदन से पूर्व व वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 279, 278 में रास्ते का उपयोग किया जा रहा है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान–2021, कोर्ट केम्प खुड़ाला पेश हुई। पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया तथा तहसीलदार गुड़ामालानी से जानकारी ली गई। वकील विप्रार्थीगण द्वारा जबाव में मौका रिपोर्ट पर आपत्ती कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की माता की खातेदारी खसरा नम्बर 279 में से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी की आपती पर तहसीलदार गुड़ामालानी से जानकारी ली गयी। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अवगत कराया की प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 279 में से आवागमन कर रहा है परन्तु कट्टाण मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नं. 283/1 से राजकीय कट्टाण मार्ग तक पहुंच हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खेत खसरा नं. 281 में से ही सबसे नजदीकी विकल्प है। अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिर्पोट कमांक 01 दिनांक 05.10.2021 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "हरा रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 283/1 ग्राम सोनगिरी की ढाणी में आने–जाने हेतु विप्राथीगण संख्या 1 ता 8 की खातेदारी भूमि ग्राम सोनगिरी की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 281 में से लम्बाई 75 गट्ठा, चौडाई 4 गट्ठा कुल रकबा 0–15 बीघा रास्ते हेतु बरंग "हरा" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जायेगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पं.स. सिणधरी/पाँयला कलां
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/11/21 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(वीरमाराम)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
... समांसी पिंचायत समिति पायलाकला
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:34 IST
Reason: SelfAttested